न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या:- 01/2016

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय जोधपुर		1. हिम्मतसिंह पुत्र दुर्गासिंह, जाति-माली निवासी-सुभाष चौक, सूरसागर जोधपुर हाल मालिक कच्छावाह Aegis प्यूर गैस एजेन्सी, सूरज बेरा, सूरसागर जोधपुर 2. कच्छावाह Aegis Pure Gas Agency, सूरज बेरा, सूरसागर, जोधपुर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण व प्रदाय नियंत्रण) आदेश 2000 गैस सिलेण्डर रूल्स 2004

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री ओमचन्द हर्ष, प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सोमप्रकाश जोशी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 10.04.2019

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के पेश किया जिसमें व्यक्त किया कि दिनांक 10.05.2013 को जिला रसद अधिकारी जोधपुर के निर्देश पर प्रवर्तन अधिकारी, जोधपुर द्वारा मय अपनी टीम के साथ निरीक्षण के दौरान महामन्दिर के आगे मैन रोड़ पर एक अशोक लेलेण्ड लोडिंग गाड़ी नम्बर RJ-19-GC-8319 में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर पड़े पाये गये तथा मौके पर गैस सिलेण्डर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सप्लाई किया जाना पाया गया। लोडिंग गाड़ी ड्राईवर अजय पुत्र बालाराम जाति माली ने अवगत कराया कि उक्त गाड़ी तथा गैस सिलेण्डर निजी गैस कम्पनी AEGIS PURE GAS के है तथा डीलरशीप कच्छवाहा Aegis Pure Gas Agency सूरजबेरा सूरसागर, जोधपुर द्वारा सप्लाई किये जा रहे है, मौके पर उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के चालान पेश किये जिसका ब्यौरा (1) 63/10.05.13 होटल हैयात, पुराना स्टेडियम, बम्बा रोड़ जोधपुर (2) 61/10.05.13 रमेश वैष्णव, जैन मंदिर शिप हाउस, जोधपुर, (3) 66/10.05.13 धर्मेन्द्र अरोड़ा, अरोड़ा नमकीन, दल्लेखां चक्की, जोधपुर व (4) 62/10.05.13 आनन्दजी, कृषि मण्डी चौराहा, एल.आई.सी. ऑफिस, जोधपुर है। मौके पर लोडिंग गाड़ी में कुल 30 गैस सिलेण्डर जिसमें 17 किलोग्राम क्षमता के 18 सिलेण्डर तथा 21 किलोग्राम क्षमता के 12 सिलेण्डर पाये गये। जिसमें से 29 सिलेण्डर भरे हुए तथा 01 सिलेण्डर 21 किलोग्राम का खाली पाया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर संख्या	सिलेण्डर पर अंकित वजन	सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन
1.	AGIS Pure Gas	31901 S	17.0 कि.ग्रा.	34.1 कि.ग्रा.	17.1 कि.ग्रा.
2.	AGIS Pure Gas	003029 S	17.0 कि.ग्रा.	34.1 कि.ग्रा.	17.1 कि.ग्रा.
3.	AGIS Pure Gas	001792 S	17.0 कि.ग्रा.	34.1 कि.ग्रा.	17.1 कि.ग्रा.
4.	AGIS Pure Gas	00117 S	17.0 कि.ग्रा.	34.1 कि.ग्रा.	17.1 कि.ग्रा.
5.	AGIS Pure Gas	003421	17.0 कि.ग्रा.	34.2 कि.ग्रा.	17.2 कि.ग्रा.
6.	AGIS Pure Gas	001093 S	17.0 कि.ग्रा.	34.2 कि.ग्रा.	17.2 कि.ग्रा.
7.	AGIS Pure Gas	005572 S	17.0 कि.ग्रा.	34.2 कि.ग्रा.	17.2 कि.ग्रा.
8.	AGIS Pure Gas	005427	17.0 कि.ग्रा.	34.3 कि.ग्रा.	17.3 कि.ग्रा.
9.	AGIS Pure Gas	00431 S	17.0 कि.ग्रा.	34.2 कि.ग्रा.	17.2 कि.ग्रा.
10.	AGIS Pure Gas	001413 S	17.0 कि.ग्रा.	34.4 कि.ग्रा.	17.4 कि.ग्रा.
11.	AGIS Pure Gas	005157	17.0 कि.ग्रा.	34.0 कि.ग्रा.	17.0 कि.ग्रा.
12.	AGIS Pure Gas	004049	17.0 कि.ग्रा.	34.0 कि.ग्रा.	17.0 कि.ग्रा.
13.	AGIS Pure Gas	005762 S	17.0 कि.ग्रा.	34.0 कि.ग्रा.	17.1 कि.ग्रा.
14.	AGIS Pure Gas	006019	17.0 कि.ग्रा.	34.2 कि.ग्रा.	17.2 कि.ग्रा.
15.	AGIS Pure Gas	005375	17.0 कि.ग्रा.	34.2 कि.ग्रा.	17.2 कि.ग्रा.
16.	AGIS Pure Gas	005273 S	17.0 कि.ग्रा.	34.2 कि.ग्रा.	17.2 कि.ग्रा.
17.	AGIS Pure Gas	001413 S	17.0 कि.ग्रा.	34.4 कि.ग्रा.	17.4 कि.ग्रा.
18.	AGIS Pure Gas	003085 S	17.0 कि.ग्रा.	34.2 कि.ग्रा.	17.2 कि.ग्रा.
19.	AGIS Pure Gas	0925	21.0 कि.ग्रा.	21.0 कि.ग्रा.	--.
20.	AGIS Pure Gas	36311	21.0 कि.ग्रा.	41.4 कि.ग्रा.	20.4 कि.ग्रा.
21.	AGIS Pure Gas	2825	21.0 कि.ग्रा.	40.9 कि.ग्रा.	19.9 कि.ग्रा.
22.	AGIS Pure Gas	31109	21.0 कि.ग्रा.	41.2 कि.ग्रा.	20.2 कि.ग्रा.
23.	AGIS Pure Gas	2351	21.0 कि.ग्रा.	41.1 कि.ग्रा.	20.1 कि.ग्रा.
24.	AGIS Pure Gas	27409	21.0 कि.ग्रा.	41.2 कि.ग्रा.	20.2 कि.ग्रा.
25.	AGIS Pure Gas	17292	21.0 कि.ग्रा.	41.3 कि.ग्रा.	20.3 कि.ग्रा.
26.	AGIS Pure Gas	2927	21.0 कि.ग्रा.	41.4 कि.ग्रा.	20.4 कि.ग्रा.
27.	AGIS Pure Gas	13449	21.0 कि.ग्रा.	41.3 कि.ग्रा.	20.3 कि.ग्रा.
28.	AGIS Pure Gas	1775	21.0 कि.ग्रा.	41.8 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.
29.	AGIS Pure Gas	01008	21.0 कि.ग्रा.	40.9 कि.ग्रा.	19.9 कि.ग्रा.
30.	AGIS Pure Gas	1930	21.0 कि.ग्रा.	40.7 कि.ग्रा.	19.7 कि.ग्रा.

मौके पर वाहन चालक ने बताया कि एजेन्सी के मालिक हिम्मतसिंह पुत्र दुर्गासिंह, जाति माली, निवासी सुभाष चौक, सूरसागर जोधपुर है। एजेन्सी मालिक स्वयं मौके पर उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा मौके पर सिलेण्डर सप्लाई किये जाने वाले ग्राहकों के कनेक्शनों का ब्यौरा, ग्राहक रजिस्टर, एलपीजी सिलेण्डर परिवहन एवं सप्लाई करने का कोई अधिकार पत्र, गैस के कोई रेटिग सर्टिफिकेट, एमओयू आदि भी पेश नहीं किये गये, जबकि लोडिंग गाड़ी में मौके पर सिलेण्डरों में कुल 537 किलोग्राम गैस पाई गयी। अत: मौके पर पाये गये 30 एल.पी.जी. सिलेण्डर जिसमें 18 (17 कि.ग्रा. के) व 12 (21 कि.ग्रा. के) जब्त सरकार किया जाकर मैसर्स मारवाड़ गैस सर्विस जोधपुर के मैनेजर हड़मानराम पुत्र भल्लाराम, जाति विश्नोई को सुपुर्द किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त गैस सिलेण्डर का संग्रहण कर वाणिज्यक कार्य में उपयोग में लिया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 के उपाबन्ध (4) (9) LPG सामानान्तर विपणन प्रणाली के तहत जारी दिशा निर्देश तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के उपाबन्ध (10) का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए की स्पष्ट अवहेलना है। अत: धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त 30 (तीस) गैस सिलेण्डर (जिसमें 18 सिलेण्डर 17 कि.ग्रा. के तथा 12 सिलेण्डर 21 कि.ग्रा. के) को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 113 दिनांक 28.01.2016 से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जो दिनांक 02.02.2016 को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

अप्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.05.2013 को महामन्दिर के आगे मैन रोड़ पर लोडिंग गाड़ी नम्बर RJ-19-GC-8319 में जो एलपीजी गैस सिलेण्डर भरे हुए पाये थे जिसके बारे में ड्राईवर ने गैस सिलेण्डर अप्रार्थी फर्म के होना बताया तथा मौके पर उपभोक्ता को सप्लाई करने के लिए चालान पेश किये थे। उक्त सिलेण्डर को मैसर्स एजिस गैस (एलपीजी) प्रा.लि. द्वारा अप्रार्थी फर्म को सप्लाई किया गया था। मैसर्स एजिस गैस (एलपीजी) प्रा.लि. को भारत सरकार के कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज मंत्रालय के पेट्रोलियम एवं सक्सप्लोजिव सेफ्टी ओर्गेनाईजेशन द्वारा लाईसेंस प्राप्त है जो वर्तमान में वैद्य है तथा उक्त कम्पनी को सिलेण्डर में कम्प्रेश गैस भरने का लाईसेंस प्राप्त है जो दिनांक 30.09.2013 तक वैद्य है तथा उसे चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव द्वारा जारी किया गया है। अप्रार्थी फर्म मैसर्स कच्छवाहा एजिस प्योर गैस एजेन्सी का पंजीयन कॉमर्शियल टैक्स कार्यालय से पंजीबद्ध है तथा इसका प्रमाण पत्र संख्या 08764901690 (सेन्ट्रल) दिनांक 19.03.2013 को जारी किया गया है, जो वर्तमान में वैद्य है तथा इस पंजीयन के तहत अप्रार्थी फर्म को एलपीजी सिलेण्डर, एलपीजी एण्ड सीएनजी किट, रेग्यूलेटर, रबर टयूब, ऑयल, ग्रीसेज केरोसीन एवं एलपीजी संबंधित अन्य एसेसरिज इत्यादि बेचान करने की स्वीकृति प्राप्त है। अप्रार्थी फर्म और मैसर्स एजिस गैस (एलपीजी) प्रा.लि. के डिस्ट्रीब्यूशन बाबत इकरार किया हुआ है, जो वर्तमान में वैद्य है तथा इसी इकरार के अन्तर्गत अप्रार्थी फर्म एलपीजी गैस सिलेण्डर के डिस्ट्रीब्यूशन का व्यापार करती है। इसी इकरारनामे के जरिये ही अप्रार्थी फर्म को एलपीजी गैस सिलेण्डर को रखने, बेचने व वितरण करने के अधिकार हासिल है। एजिस गैस (एलपीजी) प्रा.लि. द्वारा एलपीजी सिलेण्डर के जोधपुर में वितरण अधिकार जरिये लेटर ऑफ इन्टेन्ट (एलओआई) 27 नवम्बर 2012 को जारी किया गया है, जो वर्तमान में वैद्य है, जिसके तहत वितरण बाबत वाहन की व्यवस्था करने का अधिकार उपभोक्ताओं को सेवा उपलब्ध करवाने बाबत सभी कार्यवाहियों के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी फर्म द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में जारी एलपीजी सिलेण्डर बाबत चालान वक्त जब्ती निरीक्षक को दिखा दिये गये थे तथा अप्रार्थी फर्म के सिलेण्डर संबंधित समस्त दस्तावेज पेश करने पर जब्तसुदा वाहन को सुपुर्दगीनामे पर रिलीज किया गया था।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी श्री ओमचन्द हर्ष ने बहस में कथन किया कि वक्त निरीक्षण अशोक लेलेण्ड लोडिंग गाड़ी नम्बर RJ-19-GC-8319 में ड्राईवर अजय पुत्र बालाराम जाति माली से कुल 30 गैस सिलेण्डर जिसमें 17 किलोग्राम क्षमता के 18 सिलेण्डर तथा 21 किलोग्राम क्षमता के 12 सिलेण्डर पाये गये। जिसमें से 29 सिलेण्डर भरे हुए तथा 01 सिलेण्डर 21 किलोग्राम का खाली पाया गया तथा उक्त गैस सिलेण्डर निजी गैस कम्पनी AEGIS PURE GAS के डीलरशीप कच्छवाहा Aegis Pure Gas Agency सूरजबेरा सूरसागर, जोधपुर के मालिक हिम्मतसिंह पुत्र दुर्गासिंह, जाति माली, निवासी सुभाष चौक, सूरसागर जोधपुर द्वारा सप्लाई

किया जाना बताया गया। एजेन्सी मालिक स्वयं मौके पर उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा मौके पर सिलेण्डर सप्लाई किये जाने वाले ग्राहकों के कनेक्शनों का ब्यौरा, ग्राहक रजिस्टर, एलपीजी सिलेण्डर परिवहन एवं सप्लाई करने का कोई अधिकार पत्र, गैस के कोई रेटिग सर्टिफिकेट, एमओयू आदि पेश नहीं किये गये, जबकि लोडिंग गाड़ी में मौके पर सिलेण्डरों में कुल 537 किलोग्राम गैस पाई गयी। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 के उपाबन्ध (4) (9) LPG सामानान्तर विपणन प्रणाली के तहत जारी दिशा निर्देश तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के उपाबन्ध (10) का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण उक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों को राज्यसात करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सोमप्रकाश जोशी ने न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत धारा 6 बी के तहत दिये गये नोटिस के दिनांक 23.07.13 को न्यायालय को दिये गये अपने लिखित जवाब को ही अपनी बहस मानते हुए उक्त 30 एल.पी.जी. सिलेण्डर जिसमें 18 (17 कि.ग्रा.) व 12 (21 कि.ग्रा.) अप्रार्थी फर्म को सुपुर्दगी आदेश करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वकुलाय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तसुदा 30 सिलेण्डर के संबंध में एजेन्सी मालिक द्वारा सिलेण्डर सप्लाई किये जाने वाले ग्राहकों के कनेक्शनों का ब्यौरा, ग्राहक रजिस्टर, एलपीजी सिलेण्डर परिवहन एवं सप्लाई करने का अधिकार पत्र, गैस के रेटिग सर्टिफिकेट, एमओयू आदि मौके पर पेश नहीं किये गये, जबकि लोडिंग गाड़ी में मौके पर सिलेण्डरों में कुल 537 किलोग्राम गैस पाई गयी। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 के उपाबन्ध (4) (9) LPG सामान्तर विपणन प्रणाली के तहत जारी दिशा निर्देश तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के उपाबन्ध (10) का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण हम इन्हे राज्यसात करना न्यायहित में उचित समझते है।

उपरोक्त निष्कर्षोपरान्त अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तसुदा 30 गैस सिलेण्डरों_का संग्रहण कर वाणिज्यक कार्य में उपयोग में लिया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 के उपाबन्ध (4) (9) LPG सामानान्तर विपणन प्रणाली के तहत जारी दिशा निर्देश तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के उपाबन्ध (10) का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण उक्त जब्तसुदा कुल 30 गैस सिलेण्डर जिसमें 17 किलोग्राम क्षमता के 18 सिलेण्डर तथा 21 किलोग्राम क्षमता के 12 सिलेण्डर जिसमें से 29 सिलेण्डर भरे हुए तथा 01 सिलेण्डर 21 किलोग्राम का खाली को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है।

जिला रसद अधिकारी प्रथम, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त जब्तसुदा 30 गैस सिलेण्डरों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निस्तारण करे तथा प्राप्त राशि राज्यकोष में जमा कराये। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी प्रथम, जोधपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर